पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
प्रेस–विज्ञप्ति
विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 16 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 09–01–2023

दिनांक 08/09–01–2023 को रात्रि थाना अलीगंज 01, थाना बिजनौर 01, थाना गाजीपुर 02, थाना गुडम्बा 01, हुसैनगंज 01, थाना इन्दिरानगर 04, थाना जानकीपुरम 01, थाना पारा 03, थाना वजीरगंज 01, थाना विभूतिखण्ड 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 16 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना गोमतीनगर–दिनांक 09.01.2023 को थाना गोमतीनगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री मेजर अभिजीत सिंह पुत्र श्री वीके सिंह निवासी–02/103, विशालखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ ने थाना गोमतीनगर पर सूचना दिया कि वादी 2010 से सेना में कार्यरत है। वादी अपने बूढ़े मां–बाप की देखभाल के लिए दिनांक 05 जनवरी 2023 को अपने उक्त घर पर आया था। दिनांक 08 जनवरी की रात 22.00 बजे पर अचानक से बहुत तेज डीजे पर गाना बजने की आवाज आयी। चूंकि यह रिहायशी इलाका है आमतौर पर इतनी तेज आवाज में कोई गाना नहीं बजाता। वादी रात में जब बाहर निकला तो ज्ञात हुआ कि 02/91, विशालखण्ड जो कि अवैध रूप से चले रहे होटल मिलानो एण्ड कैफे में छत पर तेज आवाज में म्यूजिक व लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। उसके उपरान्त वादी समय करीब रात्रि 23.30 बजे उक्त अवैध होटल पर जाकर किसी आधिकारिक व्यक्ति से मिलने के उद्देश्य आवाज देकर बुलाया तो एक व्यक्ति बाहर आया जिससे वादी ने डीजे बन्द करने का अनुरोध किया और लौट आया। अनुरोध के बाद जब डीजे बन्द हुआ तो वादी ने 100 नम्बर पर समय करीब 12. 22 बजे पर काल और शिकायत दर्ज किया। मौके पर पुलिस हूटर बजने के उपरान्त डीजे बन्द हो गया। उक्त घटना के करीब 20 मिनट बाद होटल से फिर से आवाज आने लगी। वादी द्वारा पुनः शिकायत की गयी। कुछ समय पश्चात उक्त होटल से 07 से 08 व्यक्ति बाहर निकले जिन्होंने वादी से अभद्रता और धक्का मुक्की की और धमकी दिया कि तुम्हारा घर पता है, इसका अंजाम भुगतना होगा। इसके बाद डीजे बन्द हो गया और वादी अपने घर आ गया। वादी की चार पहिया वाहन सियाज गाड़ी नं0 यूपी 32 एचआर 1663 घर के बाहर खड़ी थी, क्योंकि वादी के 02 वर्षीय पुत्र की तबियत ठीक नहीं है इसलिए डॉक्टर के यहां जाने की वजह से वादी ने गाड़ी को बाहर ही खडा किया था। समय करीब 03.00 बजे शीशा टूटने की आवाज आयी तो वादी ने घर से बाहर निकलकर देखा तो वादी की उक्त गाड़ी में आग लगी हुयी थी। वादी ने तुरन्त 100 नम्बर पर काल कर सूचना दिया। मौके पर पुलिस व फायर ब्रिगेड पहुंच गयी जिनकी मदद से आग पर काबू पाया गया। वादी के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में 02 व्यक्ति राड से गाड़ी का शीशा तोड़ते व तेल डालकर वादी की गाड़ी को आग लगाते दिखे। मौके पर जिम वाली राड व प्लास्टिक का पीपा भी मिला। वादी को पूरा विश्वास है कि उक्त घटना के दौरान अपने आप को मालिक बताने वाले राहुल व मैनेजर बताने वाले शिवम सिंह तथा उक्त 07 से 08 साथियों ने एक राय होकर वादी को धमकाने, भयभीत करने व शिकायत का बदला लेने के उद्देश्य से वादी की गाड़ी में आग लगायी है। **इस सूचना पर थाना गोमतीनगर पर मु0अ0सं0 019/2023 धारा 147/323/427/435/504/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री दिलीप कुमार चौबे थाना गोमतीनगर द्वारा की जा रही है।**

थाना मड़ियांव–दिनांक 09.01.2023 को थाना मड़ियांव द्वारा बताया गया कि वादी श्री सन्तराम शर्मा पुत्र राम विकास निवासी–प्रेम नगर ककौली थाना मड़ियांव लखनऊ ने थाना मड़ियांव पर सूचना दिया कि वादी की लड़की जिसका नाम छोटू उर्फ सोनम है, वादी की लड़की का सम्बन्ध रफीक सिद्दीकी से था, जो वादी की लड़की को शादी करने के लिए मजबूर करता था, जब वादी की लड़की ने शादी करने से मना कर दिया तो उसने वादी की लड़की को धमकी देना चालू कर दिया, और अपने भाई को घर पर शादी करने का दबाव बनाने के लिए भेजने लगा, और धमकी देता कि मेरा भाई नेता है, घर से उठवा लेगे, जिससे दुखी होकर वादी की लड़की ने मजबूर होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। **इस सूचना पर थाना मड़ियॉव पर मु0अ0सं0 14/2023 धारा 306 भादवि का अभियोग बनाम 1–रफीक सिद्दीकी के विरुद्व पंजीकृत किया गया।** जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री अमित कुमार साहू द्वारा की जा रही है। जिनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 08.01. 2023 को मृतका छोटू उर्फ सोनम उम्र करीब 17 वर्ष ने घर के अन्दर पंखे में दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगा लिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। मृतका कक्षा आठवीं तक पढ़ी थी और अन्ना मार्केट में किसी लाइब्रेरी में नौकरी करती थी।